पत्र संख्या-एस0पी0(नि0) 06/2010........2451....../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

रमेश चन्द मालवीय,
सरकार के सचिव,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक........24-03-23

विषयः- **मुकदमों में अभियुक्त/अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में दिशा-निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि विधि विभागीय पत्रांक-9563, दिनांक-30.12.2014 द्वारा कांड के अभियुक्त/अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में दिशा-निर्देश संसूचित किया गया था, किन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न मामलों में कांड के अभियुक्त/अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु विभिन्न प्रशासी विभागों के प्रस्तावों पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं स्पष्ट मंतव्य नही भेजा जा रहा है, साथ हीं संचिका पर पठनीय एवं अद्यतन कांड दैनिकी भी अनुपलब्ध रहती है जिसके फलस्वरूप विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब के साथ-साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजने के पूर्व संचिका पर निम्नांकित बिन्दुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए:-

1. थाना कांड संख्या, तिथि एवं धारा,
2. अभियुक्त का नाम,
3. अभियुक्त की जन्म तिथि,
4. अभियुक्त की सरकारी सेवा में नियुक्ति तिथि,
5. अभियुक्त की सेवानिवृत्ति तिथि,
6. अभियुक्त का प्रशासी विभाग एवं नियुक्ति प्राधिकार,
7. अभियुक्त का सेवा संवर्ग,
8. अभियुक्त का वर्त्तमान पदस्थापन,
9. अभियुक्त का वर्त्तमान एवं स्थायी पता,
10. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति/अस्वीकृति के प्रस्ताव पर प्रशासी विभाग का आत्मभारित एवं सकारण टिप्पणी,
11. अभियोजन स्वीकृति/अस्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन (जिन विभागों के मंत्री माननीय मुख्य मंत्री न हों),

d:\arun\abhiyojan swikriti\parihar\misc. abiyojan.docx

कृ0प0उ0.....

12. अभियोजन स्वीकृति/अस्वीकृति के प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी (एफ0आई0आर0), पर्यवेक्षण टिप्पणी, अद्यतन एवं पूर्ण कांड दैनिकी की पठनीय प्रति,

13. कांड में एक से अधिक अभियुक्त होने की स्थिति में जहाँ तक संभव हो सभी अभियुक्तों के विरूद्ध एक साथ अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रस्ताव।

अतः अनुरोध है कि कृपया सभी प्रशासी विभाग उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजे ताकि अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-एस0पी0(नि0)-06/2010......2451...../जे0, पटना, दिनांक-...24-03-23

प्रतिलिपिः-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना/महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-एस0पी0(नि0)-06/2010......2451...../जे0, पटना, दिनांक-...24-03-23

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-एस0पी0(नि0)-06/2010......2451...../जे0, पटना, दिनांक-.24-03-23

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, विधि विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/3/23
(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

d:\arun\abhiyojan swikriti\parihar\misc. abiyojan.docx